क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर
Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

राराप्रनिम / क्षे.का. / बालोतरा / LabEstt. / 2631 दिनांकः 30/11/2022

बोली आमंत्रण सूचना 04 / 2022–2023

"परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन हेतु मानव संसाधन की सेवाओं का उपापन"

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बालोतरा द्वारा राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (Natioanl Ambient Air Quality Monitoring Programm/NAMP) के तहत बालोतरा शहर में 03 स्थानों पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों का संचालन (Operation of Repairable Dust Sampler एवं $PM_{2.5}$ Sampler), सुरक्षा एवं सुरक्षित रखरखाव (Safty and Security), वायु नमूना संग्रहण (Collection of Air Samples) एवं संबंधित फील्ड डाटा शीट (Ambient Air Quality Monitoring Sheet) मय फिल्टर पेपर एवं अभिकर्मक विश्लेषणार्थ (Analysis) क्षेत्रीय प्रयोगशाला बालोतरा को निर्देशानुसार हस्तान्तरण (Hand Over) करने का कार्य अनुबन्ध के आधार पर कराने हेतु पंजीकृत संस्थाओं / एजेन्सियों से दरें प्राप्त करने हेतु डबल कवर सिस्टम में बोली आमंत्रित की जाती है:–

क्र0 स0	विवरण	विशेष विवरण
1	कार्य का विवरण	वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों का संचालन, सुरक्षा एवं सुरक्षित रखरखाव, वायु नमूना संग्रहण, संबंधित फील्ड डाटा शीट मय फिल्टर पेपर एवं अभिकर्मक विश्लेषणार्थ कार्य, कार्यादेश दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि के लिये
2	कार्य की अनुमानित लागत	रू. 576000 / – वार्षिक
3	बोली प्रतिभूति राशि	रू. 11520 / –
4	बोली प्रपत्र शुल्क	रू. 500 / – (डीडी / बैंकर चैक के रूप में)
4	कार्य सम्पादन प्रतिभूति	कार्य की अनुमानित राशि का 2.5 प्रतिशत
5	बोली प्राप्त करने की दिनांक	बोली प्रकाशन की दिनांक से कार्यालय समयानुसार
6	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	14.12.2022 को सायं 05:00 बजे तक
7	बोली की तकनीकी एवं वितीय बिड खोलने की दिनांक एवं समय	15.12.2022 को प्रातः 11:00 बजे

नोटः–

1. बोली प्रपत्र तथा अन्य विस्तृत विवरण / शर्तें वेबसाइट http://sppp.rajasthan.gov.in से तथा विभागीय वेबसाईट http://environment.rajasthan.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है अथवा निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क बैंकर चैक / डीडी के माध्यम से सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंण्डल (पेयेबल एट बालोतरा) के नाम से इस कार्यालय में जमा कर प्राप्त किये जा सकते है। बोली प्रपत्र शुल्क नॉन रिफण्डेबल है।
2. किसी भी वाद हेतु स्थानीय न्यायालय कार्यक्षेत्र होगा।
3. सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 (यथा संशोधित) में वर्णित प्रावधानानुसार होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राराप्रनिम, बालोतरा

राराप्रनिम / क्षे.का. / बालोतरा / LabEstt. / 2632-2634 दिनांकः 30/11/2022

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. एसीपी, राराप्रनिमं, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर उक्त NIB के सादर प्रकाशनार्थ।
2. नोटिस बोर्ड, मुख्यालय एवं समस्य क्षेत्रीय कार्यालय, राराप्रनिम।
3. रक्षित पत्रावली।

क्षेत्रीय अधिकारी

Rajasthan

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर

Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिः दि. 14.12.2022 को सायं 05.00 बजे तक — बोली प्रपत्र शुल्क–रु. 500

बोली खोलने की तिथि : दि. 15.12.2022 को प्रातः 11.00 बजे

बोली प्रपत्र – परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन हेतु मानव संसाधन की सेवाओं का उपापन NIB 04/2022-23

प्रपत्र–अ तकनीकी बोली

1. संदर्भ – क्षेत्रीय अधिकारी, RSPCB बालोतरा का पत्रांक दिनांक
2. बोलीदाता का नाम : ....
3. डाक का पता : ....

   ....
4. संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम : ....

   पदनाम ....

   प्रमाणित हस्ताक्षर ....
5. फोन / मोबाईल नं. : ....
6. ई–मेल पता : ....
7. बैंक का नाम : ....

   IFSC Code : ....

   खाता संख्या : ....
8. किसको संबोधित किया गया है: क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बालोतरा।
9. बोली प्रपत्र शुल्क की राशि रू 500 / – **Member Secretary, RSPCB** के पक्ष में Payable at Balotra का बैंकर चैक / डी०डी० द्वारा जमा करा दी गई / संलग्न है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र.सं.	डी.डी. न.	जारी दिनांक	जारी कर्ता बैंक एवं शाखा का नाम	राशि रू०

10. बोली के अनुसार बोली प्रतिभूति (Bid security) के रूप में राशि **Regional officer, RSPCB, Balotra** के पक्ष में Payable at Balotra का बैंकर चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट बोली प्रपत्र के साथ संलग्न है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र.सं.	डी.डी. न.	जारी दिनांक	जारी कर्ता बैंक एवं शाखा का नाम	राशि रू०

11. बोलीदाता द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी –

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बालोतरा

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7.	संलग्नक ए, बी, सी, डी,	—	—	—	
8.	संलग्नक ई (रु.50 के स्टॉम्प पर)	—	—	—	
9.	संलग्नक एफ (वित्तीय घोषणा)	—	—	—	
10.	संलग्नक जी (FALL CLAUSE)	—	—	—	
11.	प्रमाणित बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट की छायाप्रति				
12.	गत वित्तीय वर्ष 2021–2022 में टर्न ऑवर के समर्थन में चार्टेड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित पत्र एवं सम्बन्धित वर्षो की बैंलेंस शीट तथा आईटीआर				

12. मैं/हम क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, बालोतरा द्वारा जारी की गयी बोली आमन्त्रण सूचना 04/2022–23 तथा बोली दस्तावेजों में वर्णित सभी शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इसके साक्ष्य में बोली आमंत्रण सूचना तथा बोली दस्तावेजों के समस्त पृष्ठों पर मैनें/हमनें मुहर के साथ हस्ताक्षर कर दिये है।
13. **टर्न ऑवर**– बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2021–2022 में न्यूनतम टर्न ऑवर 05 लाख होना चाहिए/जिसके समर्थन में चार्टेड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित पत्र की प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करने होगी। सम्बन्धित वर्षों की बैंलेंस शीट तथा आईटीआर प्रस्तुत करनी होगी।
14. बोलीदाता को किसी एकल सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान/बोर्ड/निगम में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम अथवा अन्य समकक्ष राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसमें नमूनों (सेम्पल) के एकत्रीकरण/विश्लेषण/नमूनों का परिवहन के लिए कर्मचारी आपूर्ति कराने का 01 वर्ष का अनुभव होने पर उस बोलीदाता को प्राथमिकता दी जावेगी।
15. बोली दस्तावेजों में वांछित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बालोतरा

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर
Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) कार्य का विस्तृत विवरण व शर्ते :–

वर्तमान में बालोतरा शहर में प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Stations) निम्न स्थानों पर स्थित है :-

क्र. सं.	स्थान का नाम	क्षेत्रीय प्रयोगशाला का नाम व पता जहाँ नमूने जमा कराने है।
1	क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जसोल फांटा, जे.वि.वि.एन.एल. कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर।	क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जसोल फांटा, जे.वि.वि.एन.एल. कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर।
2	बालोतरा वाटर पोल्यूशन कन्ट्रोल एण्ड रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, खेड़ रोड़ बालोतरा जिला बाड़मेर।	
3	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा जिला बाड़मेर।	

शहर में परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन हेतु (Air Quality Monitoring) निर्धारित स्थानों पर स्थित स्टेशन (Air Quality Monitoring Stations) ठेकेदार के कर्मियों द्वारा संचालित किये जायेंगे। उक्त प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Stations) की संख्या तीन से अधिक की जा सकती है।

परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र पर क्षेत्र सहायक के अपेक्षित कार्यः–

1. **कार्य का विवरणः** राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) बालोतरा स्थित (03) स्थानों पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों के संचालन, (Operation of Respirable Dust Sampler एंव $PM_{2.5}$ Sampler) उक्त उपकरणों के आस–पास सफाई, रक्षा एवं सुरक्षित रख रखाव (Safety And Security) वायु नमूना संग्रहण (Collection of Air samples) एवं संबंधित आंकड़ो (Ambient Air Quality Monitoring Data Sheet) मय फिल्टर पेपर एवं अभिकर्मक विश्लेषणार्थ (Analysis) एवं क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला, रा.प्र.नि.मं. बालोतरा को निर्देशानुसार आंकड़ा तथा वायु नमूनों का हस्तान्तरण (Hand over) /परिवहन करना। Sample (नमूना) के परिवहन के लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता देय नही होगा । कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रबोधन केन्द्रो के स्थानों को परिवर्तित भी किया जा सकता है। मापन किये जाने वाले वायु प्रदूषकों तथा मशीनों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।
2. निर्धारित स्टेशनों पर क्षेत्रीय कार्यालय, बालोतरा द्वारा उपलब्ध करायी गयी मशीनों का सुचारू रूप से प्रचालन (Operation of Equipments)
3. प्रत्येक प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) प्रत्येक सप्ताह में दो दिवस 24 घंन्टे चलाया जायेगा।
4. वांछित कार्य सम्पादन के लिये 8 घन्टे प्रति पारी (6.00 A.M. से 2.00 P.M, 2.00 P.M- से 10 P.M एवं 10.00 P.M, से 6.00 A.M) के संचालन हेतु प्रति पारी न्यूनतम एक क्षेत्र सहायक (Field Assistant) नियुक्त किया जायेगा।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, बालोतरा द्वारा विशेष परिस्थिति एवं त्योहार यथा दीपावली के दौरान आवश्यक होने पर किन्ही चुनिंदा स्थानों/उपरोक्त लिखित प्रबोधन केन्द्र (केन्द्रो) पर सप्ताह में दो दिवस के स्थान पर तीन दिवस या अधिक दिन को भी यह कार्य किया जा सकता है। इस कार्य को करने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी। इन कार्यों का भुगतान आनुपातिक दरों के अनुसार किया जायेगा।
6. **क्षेत्र सहायक** (Field Assistant) की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।

परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र पर वैज्ञानिक सहायक के अपेक्षित कार्यः–

1. परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के कुशल संचालन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के अतिरिक्त आवश्यकता होने पर मण्डल द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले कार्यों का समयबद्ध तरीके से सम्पादन करना।
2. **वैज्ञानिक सहायक** (Scientific Assistant) की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता– स्नातकोत्तर (विज्ञान) परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है तथापि राज्य मण्डल के सेवानिवृत कार्मिक जिनकों प्रयोगशाला में अधिकारी के रूप में कार्य करने का उचित अनुभव है एवं विज्ञान में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण है वे भी उक्त पद के लिए योग्य है। वर्तमान में वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) की आवश्यकता–01 (भविष्य में बढ़ोतरी योग्य)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बालोतरा

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर
Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) कार्य की शर्तेः–

1. **ठेकेदार/फर्म को पूर्व में सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम अथवा अन्य समकक्ष राष्ट्रीय कार्यक्रमों जिसमें नमूनों (सेम्पल) के एकत्रीकरण/विश्लेषण/नमूनों का परिवहन के लिए कर्मचारी आपूर्ति कराने का 01 वर्ष का सन्तोषप्रद कार्य सम्पादन का अनुभव होने पर बोलीदाता को प्राथमिकता दी जावेगी।** अनुभव का प्रमाण पत्र (जो कि सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी किया गया हो) बोली पत्र के साथ संलग्न करना होगा। कार्यादेश को अनुभव का प्रमाण स्वीकार नहीं किया जावेगा।
2. बोलीदाता को बालोतरा शहर के सम्पूर्ण प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Stations) वर्तमान संख्या 03 पर कार्य सम्पादन करने हेतु बोली प्रस्तुत करनी होगी।
3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/वैज्ञानिक अधिकारी/अन्य अधिकृत अधिकारियों को समय–समय पर कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, जिसके दौरान पायी गई कमियों के आधार पर ठेकेदार/संस्था पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, बालोतरा को अधिकार होगा कि अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त कर सके। इस बारे में अनुबन्धकर्ता किसी भी हर्जे–खर्चे की मांग नहीं कर सकेगा एवं बोलीदाता द्वारा जमा करायी गयी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बोली या संलग्न दस्तावेजों में कोई मिथ्या तथ्य या कोई अन्य त्रुटि पायी जाने पर बोली को रद्द करने एवं नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल, बालोतरा को होगा।
6. विभाग किसी भी बोली अथवा समस्त बोलीओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है।
7. मोहरबन्द बोली प्रपत्र मय बोली प्रतिभूति राशि एवं अन्य दस्तावेजों के साथ दिनांक 14.12.2022 को सायं 06:00 बजे तक क्षेत्रीय कार्यालय राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल, बालोतरा में पहुँच जाने चाहिए। प्राप्त बोलियां दिनांक **15.12.2022** को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
8. प्रबोधन कार्य संचालन (Handling of Monitoring work) सम्पादन हेतु मशीन, उपस्कर/उपकरण, रसायन तथा कार्य प्रशिक्षण (Training on Operation of equipment, suppply of Absorbing Solutions, Filter Papers) आदि क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयोगशाला, बालोतरा द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। आवश्यकतानुसार मशीन की मरम्मत, सर्विस (Servicing and Repairing) आदि की जिम्मेदारी मण्डल की होगी लेकिन प्रत्येक क्षेत्र सहायक (Field Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) की कर्तव्यनिष्ठा, सुचारू रूप से मशीन के संचालन/संधारण आदि के लिये बोलीदाता उत्तरदायी होगा। क्षेत्र सहायक (Field Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) द्वारा मशीन के चालन/प्रचालन में रूकावट पर तुरन्त मण्डल के नामित अधिकारी को सूचित करना होगा। यदि ठेकेदार या उसके क्षेत्र सहायक (Field Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) की लापरवाही से मशीन के खराब होने, कांच के सामान टूटने पर विभिन्न अभिकर्मको, फिल्टर पेपर, आकड़ा प्रतिवेदन, आकड़ा संग्रह आदि को क्षति पहुंचाने या दुरूपयोग करने पर ठीक कराने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी तथा क्षेत्रीय कार्यालय उपकरण ठीक कराने में किये गये व्यय को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि/उसे देय भुगतान में से वसूल कर सकेगा।
9. ठेकेदार को कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। आयकर विभाग में स्थायी खाता संख्या एवं GST में रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे।
10. कार्यों के विवरण में दिये गये कार्यों को करते समय यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जायेगा। क्षेत्रीय कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षति/मुआवजे के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
11. कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधायी निधि एवं अन्य कोई नियम जो ठेकेदार पर लागू होते हो तो उन नियमों के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
12. ठेकेदार प्रतिमाह प्रभारी, प्रयोगशाला शाखा, बालोतरा या समकक्ष से मासिक बिल प्रमाणित करायेगा। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत बोली राशि का ही भुगतान किया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. ठेके की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना कोई नोटिस दिये ठेका निरस्त कर जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
14. ठेके की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर अध्यक्ष, रा0 रा0 प्र0 नि0 म0, जयपुर आर्बिट्रेटर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बालोतरा

होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

15. ठेकेदार/संस्था इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियो की सूची मय फोटो तथा योग्यता प्रमाण पत्रों के संलग्न करेगा।
16. इस बोली के तहत कार्य के निष्पादन हेतु ठेकेदार/संस्था द्वारा निर्धारित योग्यताधारी व्यक्तियों को नियोजन किया जायेगा तथा ऐसे नियोजित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नही करेगा। यदि उसके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो इस हेतु ठेकेदार स्वंय जिम्मेदार होगा ।
17. ठेकेदार/संस्था द्वारा इस प्रकार नियोजित समस्त व्यक्तियों के आचरण की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/संस्था की होगी तथा उसकी अनुशंषा पर ही उसके कर्मियों के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रवेश पत्र /परिचय – पत्र बनाए जायेगें। प्रत्येक क्षेत्र सहायक (Field Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) के लिये (ठेकेदार/संस्था के प्रतिनिधि सहित) क्षेत्रीय कार्यालय का प्रवेश पत्र रखना आवश्यक तथा मांगने पर दिखाना होगा। साथ ही सूचनाओं के त्वरित आदान–प्रदान हेतु स्वयं का एण्ड्रॉय मोबाइल फोन होना अनिवार्य होगा।
18. प्रबोधन केन्द्र के चालन के समय 24 घंटे व्यक्ति उपलब्ध रहना अनिवार्य है।
19. ठेकेदार/संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये क्षेत्रीय सहायकों एवं वैज्ञानिक सहायकों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी।
20. ठेकेदार/संस्था द्वारा अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध–सिद्ध दोषी, सजायाफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा।
21. ठेकेदार/संस्था के व्यक्तियों द्वारा यदि क्षेत्रीय कार्यालय सम्पत्ति, स्टेशन पर स्थापित उपकरण, विभिन्न रसायनो, अभिकर्मको आदि को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार/संस्था को करनी होगी।
22. ठेकेदार/संस्था को राज्य मण्डल/क्षेत्रीय कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतु बुलाया जावेगा तो वह तुरन्त उपस्थित होगा।
23. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित किये जाने वाले क्षेत्र सहायक (Field Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) के संबंध में विभिन्न श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के प्रावधानों की पालना करने का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा। क्षेत्रीय कार्यालय उक्त समस्त श्रम कानूनों के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
24. प्रभावी श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के तहत प्रावधायी निधि (EPF) एवं बीमा (ESI), GST, सेवाकर आदि की राशि जमा करवाने, एवं अन्य वित्तीय अथवा कानूनी दायित्व ठेकेदार/संस्था के होंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।
25. श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों की पालना न करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने पर एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है।
26. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित श्रमिकों के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक संबंधी विवाद में दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
27. यदि अनुबन्ध से संबंधित कार्यो के सम्पादन मे किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है एवं इसके लिये बोली शर्तों/कार्यादेश में शास्ति (Penalty) का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो ऐसी कार्यों में लापरवाही या किसी प्रकार की शास्ति क्षेत्रीय अधिकारी, रा. प्र. नि. म. बालोतरा द्वारा आरोपित की जा सकेगी।
28. ठेकेदार द्वारा चुकाये जाने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवं शास्ति (Compensation and Penalty) की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा प्रतिभूति (Payment or Security) राशि में से वसूल करने का अधिकार क्षेत्रीय कार्यालय को होगा।
29. उक्त शर्तो के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों/RTPP Rules की शर्तें व विनियम भी ठेकेदार/संस्था को स्वीकार्य होंगे।
30. इस बोली के सम्बन्ध मे अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के संबंध में कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय में उत्पन्न होता है अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायालय में लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किया जाये तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठेकेदार/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी चाहे वह प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नहीं हो।
31. यह कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त कार्य का कोई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो **एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त** की जा सकेंगी।
32. इस बोली के तहत अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष तक के लिये ही होगी तथापि अनुबन्ध की अवधि में कमी अथवा बढ़ोत्तरी करने का अधिकार क्षेत्रीय कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
33. इस बोली के सम्बन्ध मे अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध की शर्तो की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पर क्षेत्रीय अधिकारी, रा० प्र० नि०

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बालोतरा

म0, बालोतरा का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार/संस्था को मान्य होगा एवं ठेकेदार एवं क्षेत्रीय कार्यालय की आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि को बोली की शर्तों एवं दरों पर नियमानुसार बढ़ा सकते है।

34. ठेकेदार या उसके क्षेत्र सहायक (Field Assistant) द्वारा नमूने के एकत्रीकरण के कार्य में प्रतिदिन क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला प्रभारी के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में नमूनों को मय आकडा प्रतिवेदन (Collected sample and Data Sheet) विश्लेषण के लिये जमा कराया जायेगा ।
35. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार बालोतरा होगा।
36. आगामी माह का बिल का भुगतान गत माह की E.S.I., P.F., GST के जमा की चालान की प्रतिलिपि मय सूची प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा।
37. श्रम विभाग की दरों एवं अन्य प्रावधानों की पालना भी सुनिश्चित की जावें। उक्त दरों को राज्य सरकार/मण्डल मुख्यालय द्वारा संशोधित किये जाने पर तदानुसार देय होगा।
38. बोलीदाता को शर्तों को सावधनीपूर्वक पढ लेना चाहिए एवं बोली प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णतः पालना करनी चाहिए। बोलीदाता को यदि किसी शर्त या कार्य के बारे में कोई सन्देह हो या वह अस्पष्ट लगे तो अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले उसका क्षेत्रीय कार्यालय, रा. प्र. नि. म. बालोतरा से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जावे। किसी भी शर्त की व्याख्या या विशेष विवरण के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय का निर्णय ही अंतिम व मान्य होगा।
39. **तकनीकी बोली लिफाफा संख्या–01** एवं **वित्तीय बोली लिफाफा संख्या–02** को एक मुहरबन्द लिफाफे में रखकर लिफाफे पर ''**राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवायें उपलब्ध कराने के लिए मांगी जाने वाली बोली**'' अंकित कर उसे क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जसोल फांटा, जे.वि.वि.एन. एल. कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर को संबोधित करते हुये रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार से प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक क्षेत्रीय कार्यालय, बालोतरा में पहुँच जावे।
40. **बोली प्रतिभूति राशि रूपये 11520/– डीडी/बैंकर चैक के रूप में जो कि क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बालोतरा के नाम से बोली प्रपत्र के साथ** प्रस्तुत करना होगा।
41. सफल बोलीदाता को कार्यादेश दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर स्वंय के खर्चे पर रूपये 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र भरकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रपत्र क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।
42. बोली (ठेका) अनुमोदित होने पर जारी कार्य आदेश की तिथि के सात दिवस में कार्य की अनुमानित राशि के 2.5 प्रतिशत के बराबर राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बालोतरा के पक्ष में डी.डी./बैंकर्स चैक के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिभूति पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नही होगा। ठेका अवधि पूर्ण होने के पश्चात ठेका अवधि में कार्य सन्तोषजनक होने तथा किसी प्रकार का विवाद नही होने की स्थिति में प्रतिभूति राशि नियमानुसार वापिस लौटा दी जावेगी।
43. निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नही करने परे बोली निरस्त कर दी जावेगी एवं अन्य बोलीदाता की बोली स्वीकृत करने का निर्णय लिया जा सकेगा।
44. यह बोली केवल वही व्यक्ति/फर्म/संस्थाऐं प्रस्तुत कर सकती है जिनका पंजीयन श्रम विभाग, आयकर विभाग पी. एफ. व ई.एस.आई. जी.एस.टी. (अनिवार्य होने की स्थिति में) में हो। साक्ष्य के रूप में उक्त पंजीयन प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां बोली के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बिना पंजीयन प्रमाण पत्रों/प्रार्थना पत्र के आवेदन करने वाली फर्म/व्यक्ति/संस्थाओं की बोली को निरस्त समझा जावेगा।

शास्ति (Penalty)

1. ठेकेदार/ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा आंकड़ा प्रतिवेदन एवं नमूनों को क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला में समय पर जमा नही कराने पर उस दिन की भुगतान (Payment) की जाने वाली राशि का भुगतान नही किया जायेगा तथा उस दिन किये जाने वाली भुगतान राशि के बराबर की राशि की शास्ति (Penalty) लगायी जायेगी।
2. ठेकेदार द्वारा लगातार तीन दिवसों पर कार्य में लापरवाही करने पर उन दिनों को भुगतान की जाने वाली राशि की दो गुना राशि शास्ति के रूप में वसूली जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बालोतरा

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर
Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

3. लगातार सात कार्य दिवसों पर लापरवाही करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पूर्ण रूप से जब्त करी जायेगी तथा उसकी जोखिम पर कार्य अन्य संख्या से करवाया जावेगा तथा अन्तर की राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर

नाम : मैसर्स : ....

दिनांक :

पता : ....

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बालोतरा

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

Rajasthan

जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर

Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

बोली प्रपत्र – परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन हेतु मानव संसाधन की सेवाओं का उपापन NIB 04/2022-23

प्रपत्र ब वित्तीय बोली

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों की संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर प्रति माह/प्रति श्रमिक	सेवाप्रदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दर प्रति माह/प्रति श्रमिक	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज प्रतिमाह प्रति श्रमिक रूपये	EPF राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित दर	ESI राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित दर	कुल राशि अकों में प्रतिमाह रूपये
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	क्षेत्र सहायक (Field Assistant)/ अर्द्धकुशल श्रेणी	3 (Three)	7046/-			13%	3.25%	
2	वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) उच्च कुशल	1 (One)	8658/-			13%	3.25%	

1. उपर्युक्त तालिका में कॉलम संख्या 9 की राशिं क्षेत्र सहायको (तीन) हेतु कुल मासिक योग राशि 30,000/– तथा वैज्ञानिक सहायक (एक) हेतु मासिक राशि 18,000/– से अधिक नहीं होना चाहिये।
2. वर्तमान में क्षेत्र सहायकों की आवश्यक संख्या–03 तथा वैज्ञानिक सहायकों की आवश्यक संख्या –01 है जिसमें भविष्य में वृद्धि की जा सकती है।
3. संवेदक द्वारा कॉलम 5, 6 एवं 09 में राशि अंकित की जावेगी। शेष कॉलमों की पूर्तिया इस कार्यालय द्वारा अंकित कर बोली दस्तावेजों में अंकित कर उपलब्ध करवाई गई है। सर्विस चार्ज की राशि (0) शून्य, एवं (–) ऋणात्मक एवं 01 (एक) रूपये सें कम अंकित किये जाने पर बोली अमान्य हो जायेगी एवं L-1 का निर्णय उपापन समिति द्वारा समस्त ***तकनीकी एवं वित्तीय तथ्यों एवं कार्य अनुभव*** को आधार मानकर किया जावेगा। विभाग के लिए न्यूनतम दर की बोली स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
4. सफल बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) की राशि अतिरिक्त रुप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी स्फल बोलीदाता की होगी। सफल बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व सफल बोलीदाता का होगा।
5. कॉलम संख्या 5 में अंकित दरें प्रचलित न्यूनतम दरों से कम नहीं होनी चाहिए।
6. एक से अधिक बोलीदाताओं को कॉलम 9 में समान राशि होने पर **सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम अथवा अन्य समकक्ष राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसमें नमूनों (सेम्पल) के एकत्रीकरण/ विश्लेषण/नमूनों का परिवहन के लिए कर्मचारी आपूर्ति कराने का सन्तोषप्रद कार्य सम्पादन का अनुभव वाले बोलीदाता एवं** जिस बोलीदाता का वित्तीय वर्ष 2021–2022 में वार्षिक टर्न ऑवर सबसे अधिक होगा, उस बोलीदाता को प्राथमिकता दी जा सकती है।
7. ऊपर उल्लेखित दरें/संविदा कार्यादेश जारी किये जाने की तिथि से एक वर्ष तक के लिये विधिमान्य हैं। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।
8. कॉलम संख्या 5 एवं 6 में राशि का अंकन पूर्ण रूपयों में तथा सकारात्मक किया जावें। इसके अभाव में बोली को निरस्त/अस्वीकृत किया जा सकेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बालोतरा

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

a. not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
b. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
c. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d. not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e. not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
f. not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
g. disclose conflict of interest, if any; and
h. disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
   a. have controlling partners/ shareholders in common; or
   b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
   c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
   d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
   e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
   f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
   g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बालोतरा

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर
Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to **Regional Officer, RSPCB, Balotra** for procurement of **Human Resources** in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date: Signature of bidder

Place: Name :

Designation:

Address:

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बालोतरा

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर
Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Member Secretary, RSPCB, Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is Chairman, RSPCB, Jaipur

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;

(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बालोतरा

(d) cancellation of a procurement process;

(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee. 213 The Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be nonrefundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,- (i) hear all the parties to appeal present before him; and (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बालोतरा

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ……..of …………..

Before the ……………………………………… (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii)Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:
   ……………………………………………………………………………………
   …………………………………………………………………………………………………......
   (Supported by an affidavit)

7. Prayer:……………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………

Place …………………………………….

Date …………………………………….

Appellant's Signature

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बालोतरा

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

iii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बालोतरा

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बालोतरा

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर
Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

Annexure: E

(नोटेरी द्वारा सत्यापित 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

घोषणा पत्र

मैं/हम .... पुत्र श्री ....पदनाम (प्रोपराईट/पार्टनर/अधिकृत प्रतिनिधि)..मै. ....फर्म का नाम) ....(फर्म का पता)...घर का पता यह शपथपूर्वक घोषणा करते है कि

1. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण, बालोतरा द्वारा जारी बोली आमंत्रण सूचना 04/2022-23 **"परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन हेतु मानव संसाधन की सेवाओं का उपापन"** तथा इससे संबंधित बोली दस्तावेजों की समस्त जानकारी/शर्तों को मैंने/हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है तथा हम इनसे पूर्णतया सहमत होना स्वीकार करते है।
2. मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड हैं तथा वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/कार्मिक उपलब्ध हैं तथा अधिनियम की धारा 46 एवं नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) तथा ब्लैक लिस्टेड नहीं हैं।
3. यदि उक्त घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर किया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बालोतरा

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

Annexure: F

NIB 04/2022-23

FINANCIAL UNDERTAKING

I/We have clearly understand all the terms and conditions of the Bid and agreement etc. and agree to undertake the tender document at the rate quoted by me/us at the destinations specificed by department.

I/We will assure that I/We will strictly abide by the terms and conditions of the Bid, agreement and the orders of concerned head of the office from time to time.

I/We will furnish the prescribed performance security amount of 2.5 % on the total value of the cost of the quantity for supply, within seven (7) days of the acceptance of my/our Bid and enter into agreement.

I/We are well aware of the forfeiture clause in the terms and conditions of the Bid and my/our Bid Security stand forfeited if I/we fail to furnish the prescribed performance security and also enter into agreement within the stipulated time.

I/We will strictly abide by the terms and conditions etc. as per the agreement. In the event of non-fulfillment of contract by me/us, my/our security deposited or any amount available with the department is liable to be forfeited, award of supply contract stand cancelled besides blacklisting me/us.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बालोतरा

SIGNATURE OF THE BIDDER

NAME:

ADDRESS:

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर
Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

Annexure: G

NIB 04/2022-23

Fall Clause Certificate

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हमने बोली आमंत्रण सूचना 04/2022–23 **"परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन हेतु मानव संसाधन की सेवाओं का उपापन"** में चाही गई सामग्री/सेवा की जहाँ कहीं भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत प्रश्नगत बोली के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस बोली में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अथवा अन्य स्वायतशासी संस्था आदि को यदि आपूर्ति की जाती है तो तद्नुसार ही क्षेत्रीय अधिकारी,रा.प्र.नि.म. बालोतरा से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बालोतरा

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील